रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938
No. 323]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/ VAISAKHA 14 , 1938

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

सा.का.नि. 482(अ).—राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, भर्ती नियम, 2012, को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात.—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान**.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि**.– पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.– वह व्यक्ति.–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति.– जहाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति.– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंद्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक लेखा अधिकारी	2871* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिविय	वेतन बैंड -2, वेतनमान रु. 9300-34800 और ग्रेड वेतन रु. 4800।	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं। **टिप्पण 1.**– केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.**– आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक अर्हताएं.– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री। **वांछनीय अर्हताएं.**– चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव या वाणिज्य में मास्टर्स या कारबार अध्ययन में मास्टर्स या कारबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर्स या कारबार अर्थशास्त्र में मास्टर्स। **टिप्पण.** – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति और प्रोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.**– समूह "ख" में प्रोन्नत व्यक्ति के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।

विवेकानुसार सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करके शिथिल की जा सकती हैं।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा दोनों के ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण 1.–** सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। **टिप्पण 2.–** परिवीक्षा अवधि के दौरान सीधी भर्ती से आए हुए व्यक्तियों को अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा, पुष्टि एवं सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए उत्तीर्ण करना होगा ।	**प्रोन्नति.–** ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण हैं । **टिप्पण 1.–** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2.–** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति या आमेलन.–** भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी या भारत सरकार के अधीन किसी लेखा सगंठन के अधीन के अधिकारी (i) वेतन बैंड-2, वेतनमान रु. 9300-34800, ग्रेड वेतन रु. 4800 में समतुल्य पद धारित किए हुए ऐसा सहायक लेखा अधिकारी या सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी हो; या (ii) भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के दूसरे संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के अधीन अधीनस्थ लेखा सेवा या अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा संगठन में समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । **टिप्पण 1.–** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.–** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3.–** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए).– (i) संबंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी- अध्यक्ष (ii) संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में वरिष्ठतम अधिकारी — सदस्य (iii) संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में अगले वरिष्ठतम अधिकारी —सदस्य **टिप्पण.–**उपरोक्त में से वरिष्ठतम अध्यक्ष होंगे बशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलबधता संबंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्बी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामित किए जा सकते हैं ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती की पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए).– (i) संबंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी- अध्यक्ष (ii) संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में वरिष्ठतम अधिकारी— सदस्य (iii) संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में अगले वरिष्ठतम अधिकारी — सदस्य **टिप्पण.–** उपरोक्त में से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगें बशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलबधता संबंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्बी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामित किए जा सकते हैं।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी।	9483* (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिविय।	वेतन बैंड -2, वेतनमान रु. 9300-34800 और ग्रेड वेतन रु. 4800।	चयन।	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पण 1.–** केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2.–** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक अर्हताएं.– किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री। **वांछनीय अर्हताएं.–** चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या लागत लेखापाल या कम्पनी सचिव या वाणिज्य में मास्टर्स या कारबार अध्ययन में मास्टर्स या कारबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर्स या कारबार अर्थशास्त्र में मास्टर्स। **टिप्पण.–** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करके शिथिल की जा सकती हैं।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति और प्रोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्ष। **टिप्पण.–** समूह "ख" में प्रोन्नत व्यक्ति के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा दोनों के ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण 1.–** सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। **टिप्पण 2.–** परिवीक्षा अवधि के दौरान सीधी भर्ती से आए हुए व्यक्तियों को अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा, पुष्टि एवं सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए उत्तीर्ण करना होगा।	**प्रोन्नति.–** ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण है। **टिप्पण 1.–** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2.–** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की

	सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति या आमेलन.–** भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के सवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा सगंठन के अधीन के अधिकारी (i) वेतन बैंड-2, वेतनमान रु0 9300-34800, ग्रेड वेतन रु0 4800 में समतुल्य पद धारित किए हुए सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी हो; या (ii) भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के दूसरे संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के अधीन अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा सगंठन में उत्तीर्ण समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। **टिप्पण 1.–** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.–** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए).– (i) संबंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी- अध्यक्ष (ii) संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में वरिष्ठतम अधिकारी – सदस्य (iii) संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में अगले वरिष्ठतम अधिकारी – सदस्य **टिप्पण 1.–** उपरोक्त में से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगें बशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलबधता संबंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्बी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामित किए जा सकते हैं। समूह "ख" विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती की पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए).– (i) संबंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी- अध्यक्ष (ii) संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में वरिष्ठतम अधिकारी – सदस्य (iii) संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में अगले वरिष्ठतम अधिकारी– सदस्य **टिप्पण.–** उपरोक्त में से वरिष्ठतम अध्यक्ष होगें बशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलबधता संबंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्बी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामित किए जा सकते हैं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 12018/3/2010-ई.जी, खंड II]

निर्मला देव, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2016

G.S.R. 482(E).—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer, in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1)These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.-**The number of the posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.-**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.-** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-**Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.-**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

Name post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.**	**Whether Selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Assistant Accounts Officer.	2871 * (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, Pay Scale of Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs.4800.	Selection.	Not exceeding 30 years. **Note 1.-** Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential Qualification:** Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University or Institute. **Desirable Qualifications:** Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Masters in Business Studies or Masters in Business Administration (Finance) or Masters in Business Economics. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in consultation with the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	2 years for direct recruits and promotees. **Note:** No probation for Group 'B' promotees.

Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades, from which promotion or deputation or absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment. **Note 1**.- The direct recruits shall be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Staff Selection Commission. **Note 2** .- During the period of probation direct recruits shall have to qualify the "Subordinate Accounts Service Examination" for confirmation and regular appointment as Assistant Accounts Officer.	**Promotion :** Departmental candidates who have passed the Subordinate Accounts Service Examination conducted by the Comptroller and Auditor General of India or any authority specified by him. **Note 1**.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation or absorption:** Officers under the Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or in any Organised Accounts Cadre under the Government of India: (i) holding analogous posts of Assistant Accounts Officer or Assistant Audit Officer in Pay Band -2, Pay Scale of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800/-; or . (ii) who, has passed the Subordinate Accounts Service or Subordinate Audit Service Examination under other Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or an equivalent examination in any Organised Accounts Cadre under the Government of India. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3.-** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-** 1. Cadre Controlling Officer of the concerned State- Chairman; 2. Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State- Member; 3. Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer in the concerned State- Member. **Note**.- The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of direct recruits):-** 1. Cadre Controlling Officer of the concerned State- Chairman; 2. Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State- Member; 3. Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State- Member. **Note.-** The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

SCHEDULE

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2. Assistant Audit Officer.	9483 * (2016) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2, Pay Scale of Rs.9300-34800 Plus Grade Pay Rs.4800.	Selection.	Not exceeding 30 years. **Note 1.-** Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2.-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential Qualification:** Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University or Institute. **Desirable Qualifications:** Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Masters in Business Studies or Masters in Business Administration (Finance) or Masters in Business Economics. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in consultation with the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years for direct recruits and promotees. **Note:** No probation for Group 'B' promotees.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment. **Note 1**.- The direct recruits shall be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Staff Selection Commission. **Note 2**.- During the period of probation direct recruits shall have to qualify "Subordinate Audit Service Examination" in respective branches for confirmation and regular appointment as Assistant Audit Officer.	**Promotion :** Departmental candidates who have passed the Subordinate Audit Service Examination conducted by the Comptroller and Auditor General of India or any authority specified by him. **Note 1**.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**.- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. **Deputation or absorption:** Officers under the Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or in any Organised Accounts Cadre under the Government of India: (i) holding analogous posts of Assistant Audit Officer or Assistant Accounts Officer in Pay Band -2, Pay Scale of Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800; or (ii) who, has passed the Subordinate Audit Service or Subordinate Accounts Service Examination under other Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or an equivalent examination in any Organised Accounts Cadre under the Government of India. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3.-** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):-** 1. Cadre Controlling Officer of the concerned State-Chairman; 2. Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State-Member; 3. Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State-Member. **Note.**- The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of direct recruits):-** 1. Cadre Controlling Officer of the concerned State-Chairman; 2. Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer in the concerned State-Member; 3. Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State-Member. **Note**.- The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/03/2010-EG(Vol.II)]

NIRMALA DEV, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.